रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 882] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/2016/पौष 5, 1938
No. 882] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/PAUSA 5, 1938

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसंबर, 2016

सा.का.नि.1170(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 के संशोधन के विस्तार में नियम बनाती है-यथा:-

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजकीय गज़ट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की सारणी III, अनुभाग (IV), आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़, के अनुच्छेद (ए) पासपोर्ट, उप अनुच्छेद 1(बी), निम्नलिखित रूप में बदले जाएंगे, यथा:-

"जन्मतिथि का प्रमाण (निम्नलिखित में से किसी एक को संलग्न करें)-

(i) जन्म और मृत्यु पंजीयक अथवा नगर निगम अथवा अन्य किसी निर्धारित प्राधिकरण, जिसे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियन, 1969 के अंतर्गत भारत में जन्में शिशु का पंजीयन करने की शक्ति प्रदान की गई है, के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र;

अथवा

(ii) विद्यालय जिसमें विद्यार्थी ने अंतिम प्रतिभाग किया/मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड, जिसके पास आवेदक की जन्म तिथि की जानकारी हो, द्वारा जारी माध्यमिक प्रमाण पत्र;

अथवा

(iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड जिस पर आवेदक की जन्मतिथि हो;

अथवा

(iv) आधार कार्ड/ई-आधार जिस पर आवेदक की जन्मतिथि हो;

अथवा

(v) संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा आवेदक के सेवा अभिलेख की सत्यापित/प्रमाणित प्रति जिस पर उसकी जन्मतिथि हो (केवल सरकारी कर्मचारी के संबंध में) या संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन के अधिकारी/प्रभारी द्वारा आवेदक का पेंशन भुगतान आदेश जिस पर उसकी जन्मतिथि हो (सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी के संबंध में);

अथवा

(vi) संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी वाहन चालक लाइसेंस जिस पर आवेदक की जन्मतिथि हो;

अथवा

(vii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जन्मतिथि एवं छायाचित्र युक्त मतदाता पहचान पत्र;

अथवा

(viii) सार्वजनिक जीवन बीमा निगमों/कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड जिस पर बीमा पॉलिसी धारक की जन्मतिथि हो" ।

[फा. सं. : VI/401/2/5/2001]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं

मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

पाद टिप्पणी : पासपोर्ट नियम, 1980 का प्रकाशन भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3 के उप खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) के अंतर्गत दिनांक 11 दिसंबर, 1980 को किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ) के अंतर्गत 22, जुलाई, 2016 को किया गया था ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

G.S.R. 1170 (E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, in Schedule III, in Section (IV) relating to documents to be attached with the application, in paragraph (A) Passports, for sub-paragraph 1(b), the following shall be substituted, namely:-

   "Proof of Date of Birth (attach one of the following)-

   (i) Birth Certificate issued by the Registrar of Births and Deaths or the Municipal Corporation or any other prescribed authority, whosoever has been empowered under the Registration of Birth and Deaths Act, 1969 to register the birth of a child born in India;

OR

(ii) Transfer/School leaving/Matriculation Certificate issued by the school last attended/recognised educational board having the date of birth of the applicant;

OR

(iii) PAN Card issued by the Income Tax Department having the date of birth of the applicant;

OR

(iv) Aadhar Card/E-Aadhar having the date of birth of the applicant;

OR

(v) Copy of an extract of the service record of the applicant (only in respect of Government servants) or the Pay Pension Order (in respect of retired Government Servants), duly attested/certified by the officer/in-charge of the Administration of the concerned Ministry/Department of the applicant, having his date of birth;

Or

(vi) Driving licence issued by the Transport Department of the concerned State Government, having the date of birth of the applicant;

OR

(vii) Election Photo Identity Card issued by the Election Commission of India containing the date of birth of the applicant;

OR

(viii) Policy Bond issued by Public Life Insurance Corporations/Companies containing the date of birth of the holder of the insurance policy".

[F. No. VI/401/2/5/2001]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP)

& Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note: The Passports Rules, 1980 were published vide Notification Number G.S.R. 691(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 11th December, 1980 and last amended vide Notification Number G.S.R. 723(E), dated 22nd July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.26 14:53:17 +05'30'